न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 45/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– साजन पुत्र कुशालाराम 2– रामरख पुत्र कुशालाराम 3– जोधा पुत्र कुशालाराम 4– माणक पुत्र लुम्बाराम 5– भारमल पुत्र लुम्बाराम 6– बुधाराम पुत्र मलुराम 7– मोहनराम पुत्र मलुराम 8– हडमानराम पुत्र मलुराम 9– लक्ष्मणराम पुत्र मलुराम सभी जातियान विश्नोई निवासीगण– रडकाबेरा (पडियाल) तहसील फलोदी जिला जोधपुर		1– भीखा पुत्र बरसिंगा 2– माला पुत्र बरसिंगा 3– गोरधन पुत्र बरसिंगा 4– जगदीश पुत्र जीवणराम 5– सहीराम पुत्र जीवणराम 6– पपुराम पुत्र जीवणराम 7– अर्जुन पुत्र बगता 8– बंशु पुत्र रूगनाथराम 9– प्रेमाराम पुत्र रूगनाथराम 10–रतनाराम पुत्र बंशुराम 11–बाबु पुत्र लुम्बा सभी जातियान विश्नोई निवासीगण रडकाबेरा (पडियाल) तहसील फलोदी जिला जोधपुर 12–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 29–12–2017 जो उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा प्रकरण संख्या 269/2015 अनवान साजनराम बनाम भीखा वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 24–9–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष दिनांक 11–10–07 को प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पडियाल वर्तमान राजस्व ग्राम रडकाबेरा की सरहद मे स्थित खसरा नंबर 346 रकबा 582 बीघा 04 बिस्वा भूमि मे से 28 बीघा 12 बिस्वा भूमि अर्जुन व बंशु ने अपने हिस्से मे से बेचान कर दी जिसका नामांतरकरण संख्या 131 भरा गया तथा उक्त नामांतरकरण अनुसार जमाबंदी चौसाला संवत 2022 से 2025 मे अंकन किया गया परंतु जमाबंदी चौसाला संवत 2026 से 2029 मे उक्त नामांतरकरण के अनुसार खसरा नंबर 346 रकबा 582 बीघा 04 बिस्वा मे से बेचान किये गये रकबे को कम करते हुए 553 बीघा 12 बिस्वा अंकित कर दिया तथा बेचानकर्ता अर्जुन व बंशु का फिर से खसरा नंबर 346 मे 1/3 हिस्सा पूर्व अनुसार अंकित कर दिया जबकि अर्जुन व बंशु द्वारा उनके हिस्से की बेचान की गई भूमि का रकबा कम करते हुए अर्जन व बंशु का हिस्सा कम दर्ज किया जाना

चाहिये था, उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त करवाने का निवेदन किया । उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 13–1–2014 पारित कर दिया । जिसके विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 संख्या 7 अर्जुन पुत्र वगता ने न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर के समक्ष अपील पेश की जो निर्णय दिनांक 20–10–2015 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–1–2014 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया । उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने प्रकरण पुनः दर्ज कर बाद सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–12–2017 के द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारीज करते हुए राजस्व रेकर्ड मे खसरा नंबर 346 के संबंध मे नामांतरकरण संख्या 171 के पूर्व की स्थिति दर्ज करने का आदेश पारित कर दिये जाने पर उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांटगण ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पडियाल वर्तमान राजस्व ग्राम रडकाबेरा की सरहद मे स्थित खसरा नंबर 346 रकबा 582 बीघा 04 बिस्वा भूमि मे से 28 बीघा 12 बिस्वा भूमि अर्जुन व बंशु ने अपने हिस्से मे से बेचान कर दी जिसका नामांतरकरण संख्या 131 भरा गया तथा उक्त नामांतरकरण अनुसार जमाबंदी चौसाला संवत 2022 से 2025 मे अंकन हो गया परंतु अगली जमाबंदी चौसाला संवत 2026 से 2029 तैयार करते समय खसरा नंबर 346 रकबा 582 बीघा 04 बिस्वा मे से बेचान किये गये रकबे को तो कम करते हुए 553 बीघा 12 बिस्वा अंकित कर दिया परंतु बेचानकर्ता अर्जुन व बंशु का फिर से खसरा नंबर 346 मे पूर्व अनुसार बराबर 1/3 हिस्सा अंकित कर दिया जबकि अर्जुन व बंशु द्वारा उनके हिस्से की बेचान की गई भूमि का रकबा कम करते हुए अर्जन व बंशु का हिस्सा कम दर्ज किया जाना चाहिये था । उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त करवाने हेतु अपीलांट का धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे लंबित था ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 13–1–2014 पारित कर दिया । जिसके विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 संख्या 7 अर्जुन पुत्र वगता ने न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर के समक्ष अपील पेश की जो निर्णय दिनांक 20–10–2015 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–1–2014 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रतिप्रेषित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दुरस्ती प्रार्थना पत्र पर जो ऑब्जर्वेशन दिये है तथा नामांतरकरण संख्या 231 के बारे मे जो व्याख्या की गई है, कतई न्यायसंगत नही है क्योकि अपीलांट ने तो सहखातेदार के रूप मे अर्जुन व बंशु के सहखातेदारी के हिस्से मे से बेचान उपरांत सही हिस्सा दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था न कि नामांतरकरण को चुनौती दी गई थी ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र मे प्लीडिंग से परे जाकर सहखातेदारो के हिस्से को घोषित कर दिया, जो एल.आर. एक्ट की धारा 136 के प्रार्थना पत्र के जरिये नही किया जा सकता और न ही उक्त प्रार्थना पत्र मे किसी पक्षकार की ऐसी मांग ही थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने तथा अपीलांट की अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 7 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि मौजा रडकाबेरा के खसरा नंबर 346 रकबा 582.04 बीघा भूमि संबंध मे वर्तमान अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पोषणीय ही नही था क्योकि इस प्रकरण मे एक बेचान के आधार पर भरे गये म्युटेशन संख्या 131 के कारण जो जमाबंदी मे प्रविष्टि आई है, उस प्रविष्टि को धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये दुरस्त नही किया जा सकता है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 7 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि विक्रय पत्र के आधार हुई नामांतरकरण की प्रविष्टि को अपीलांटगण ने 45 वर्षो बाद धारा 136 के प्रार्थना पत्र के जरिये दुरस्ती करवाने हेतु निवेदन किया जो किसी आधार पर नही की जा सकती थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा जो निर्णय दिनांक 13–1–2014 को पारित किया था, उसके विरूद्ध न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–1–2014 को निरस्त कर प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी फलोदी को रिमाण्ड किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–12–2017 को पारित किया है, जिसमे राजस्व रेकर्ड मे हिस्सा कस्सी घोषणा के दावे से ही तय हो सकती है न कि रिकार्ड दुरस्ती के प्रार्थना पत्र के जरिये । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारीज करते हुए राजस्व रेकर्ड मे नामांतरकरण संख्या 171 के पूर्व की स्थिति दर्ज करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 7 अधिवक्ता का कथन है कि अर्जुन व बंशु द्वारा खसरा नंबर 346 की भूमि मे से कोई बेचान किया ही नही गया था तथा बेचान की कोई लिखत या दस्तावेज कही पर रेकर्ड पर प्रस्तुत नही हुए है तथा बेचान के आधार पर स्वीकृत हुए म्युटेशन संख्या 131 तथा अपील मे वर्णित पक्षकारो के हिस्सा कस्सी बाबत एक अपील राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय जोधपुर मे विचाराधीन है, उक्त अपील के निर्णय से ही पक्षकारो के हिस्से तय होने है, धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये अधिकारो का निर्धारण संभव नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया । वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.टी.2011(1) पेज 6की निर्णय नजीर पेश की ।

रेस्पो0 संख्या 7 के अधिवक्ता ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर मे प्रस्तुत एवं विचाराधीन अपील की आदेशिकाएं, अपील मीमो एवं सहायक कलेक्टर फलोदी मे प्रस्तुत वाद पत्र की प्रति आदि फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है ।

रिबेटल बहस मे अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि राजस्व रेकर्ड मे प्रविष्टि नामांतरकरण के आधार पर चेन्ज होती है तथा जमाबंदी संवत 2022–2025 की जमाबंदी मे जो प्रविष्टि है, वही प्रविष्टि पुनः अगले चौसाला जमाबंदी मे आनी चाहिये जो नही आई है अतः यह क्लर्कीकल एरर की श्रेणी मे होने से उसे धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये दुरस्त किया जा सकता था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 13–1–2014, न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–10–2015 तथा वर्तमान अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–12–2017 का अध्ययन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रेकर्ड आदि का भी अवलोकन किया ।

वर्तमान मामले मे अपीलांटगण का यह कथन है कि वर्तमान राजस्व ग्राम रडकाबेरा की सरहद मे स्थित खसरा नंबर 346 रकबा 582 बीघा 04 बिस्वा भूमि मे से 28 बीघा 12 बिस्वा भूमि अर्जुन व बंशु ने अपने हिस्से मे से बेचान कर दी थी जिसका जमाबंदी चौसाला संवत 2022 से 2025 मे अंकन किया गया परंतु अगली जमाबंदी चौसाला संवत 2026 से 2029 मे खसरा नंबर 346 रकबा तो 553 बीघा 12 बिस्वा अंकित कर दिया परंतु बेचानकर्ता अर्जुन व बंशु का खसरा नंबर 346 मे 1/3 हिस्सा पूर्व अनुसार अंकित कर दिया जबकि इसके विपरीत रेस्पो0 अर्जुन की ओर से उनके अधिवक्ता का कथन है कि उनके द्वारा कोई बेचान ही नही किया गया तथा म्युटेशन संख्या 131 जो अर्जुन व बंशु द्वारा वर्ष 1968 मे बेचान करने पर स्वीकृत होना बताते है तत्समय अर्जुन व बंशु अवयस्क थे ।

प्रस्तुत अपील मे पक्षकारो के बीच विवाद खसरा नंबर 346 की 28.12 बीघा भूमि के बेचान को लेकर हिस्सा कस्सी बाबत है, जिसे धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये तथा अपील की इस सरसरी कार्यवाही के जरिये लगभग 50 वर्षो के पश्चात तय नही किया जा सकता है । इसके अलावा उक्त खसरा नंबर 346 की 28.12 बीघा भूमि का बेचान किसके द्वारा किया गया था, क्या बेचान सभी खातेदारान के हिस्से मे से किया गया था या बेचान केवल अर्जुन व बंशु के हिस्से का किया गया, इसका निर्धारण तो साक्ष्य सबूतो के आधार पर ही नियमित वाद के निर्णय से ही हो सकता है । प्रस्तुत प्रकरण मे पक्षकारान के अधिवक्ताओ के कथन एवं रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजो से यह प्रकट है कि इन्ही पक्षकारो के बीच अपने हिस्से को लेकर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर मे अपील भी विचाराधीन है, यही अभिमत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–12–2017 मे दिया है, जो विधिसम्मत प्रतीत होता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–12–2017 यथावत रखा जाता है । उभयपक्षकारान विचाराधीन अपील/दावे में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 24–9–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

24/9/2018

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर